

प्रेषक

अनिल कुमार वाजपेयी ,
विशेष सचिव,
उपराज्य प्रभारी।

संख्या ५

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उच्चमुलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ३ मार्च, 2018

धरण: शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासा, नाला निमाण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अन्तर्विकासित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-मक्का की 13 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5673/76/एक/एवीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 22 अगस्त 2017 एवं पत्र संख्या-3548/76/एक/एवीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के सन्दर्भ में 2017 एवं पत्र संख्या-37 का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-मऊ की नगर पालिका परिषद, मऊ की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 13 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-685/2016/1066/69-1-16-24(अ0स0-37)/2016, दिनांक 03 नवम्बर, 2016 द्वारा हेतु शासनादेश संख्या-5673/76/एक/एवीएमबीवीवाई/2016-17 में अनुदान संख्या-37 के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 रु0 286.15 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 रु0 143.075 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अद्यमुक्त की गयी थी। अतएव प्रतिशत अर्थात् रु0 143.075 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अद्यमुक्त की गयी थी। अतएव योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधिकित बजट की धनराशि एवं करोड़ तौतालीस लाख सात हजार पाँच सौ मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री गज्ज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1. 1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णस्पेन अनुपालन करते हुए की जायेगी।
 - प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

फ्रमशः.....2

क्रमांक:.....2

विनोदी वर्षी दिला गान है भज. इस पर छत्तीखंड की आवश्यकता नहीं है।

१- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकले जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
२- यह शासनादेश की प्रकारिकता वेब साइट <http://shasanadेश.उप.निक.इन> से सत्यापित की जा सकती है।

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन इडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३० प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

क्रमशः.....3

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोणागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
 15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 16. सेन्टर चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि यित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
 17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सूजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-8/2017/दी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त्वा

भवदीय
11/3/17

(अनिल कुमार बाजपेयी)

← विशेष सचिव।

संख्या-271/2018/414(1)/69-1-2017 तिऱ्मांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. विदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अधिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या- 271 /2018/414/69-1-2017-24(अ0सं0-37)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2018 का
(धनराशि लाख रु० में)

संलग्नक।


क्र० सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	वस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	मऊ	न०पा० परिं मऊ	वार्ड नं० 13 के मौ० सहादतपुरा में मुख्यदेव राजभर के सामने से सोनू शर्मा के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	33.35	16.675
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 7 के मौ० कोल्हाड में रमेश राजभर के मकान से शिवमुनी राजभर के मकान होते हुए शंकर जी के मन्दिर तक इंटरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	32.38	16.19
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-२० के मौ० मुशीपुरा में पंचायत भवन से मास्टर वकील व सहिदुर्घान के घर होते हुए ह्यात सेन्टर के पीछे तक इंटरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	34.58	17.29
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-२० के मौ० बुनकर वालों में मकान संख्या-९३ से मकान संख्या-९८ तक इंटरलाकिंग रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	13.55	6.775
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-१४ के मौ० मुशीपुरा में इजहर के घर से मस्जिद होते हुए मैन रोड तक इंटरलाकिंग रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	21.38	10.69
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 25 के मौ० डोमनपुरा में अद्वृहमान के अहाते से मास्टर इम्तेजाज अहमद, अद्वृल अली व हाफिज जी के घर होते हुए हेलाल के घर तक इंटरलाकिंग रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	26.73	13.365
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 18 के मौ० हनीकतपुरा मुस्लिम वस्ती में आजमगढ़ मार्ग से मुश्ताक के घर होते हुए अंसार के घर तक इंटरलाकिंग रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	16.26	8.13
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 25 के मौ० डोमनपुरा में मऊ आजमगढ़ मार्ग से मुश्ताक का अद्वाता होते हुए गोलडआ रोड तक इंटरलाकिंग रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	16.83	8.415
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-३२ के मौ० मटनपुरा जोलहिनियाँ में कासिन के घर से बरेली मस्जिद होते हुए आनिर हृसन के घर तक इंटरलाकिंग रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	18.13	9.065
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-३२ के मौ० मटनपुरा जोलहिनियाँ में	18.13	9.065

1- यह शासनादेश इन्डेनिफली जारी किया गया है, अतः इस पर स्तताकर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			अजीज के मकान से जकरिया व शकील के मकान होते हुए मस्तिष्क तक इंटरलाकिंग रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।		
11	तदैय	तदैय	वार्ड नं0-32 के मो० मदनपुरा पक्कड तले से नतिझरहमान के घर तक इंटरलाकिंग रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	21.74	10.87
12	तदैय	तदैय	वार्ड सं0 14 के मो० मुशीपुरा में कप्तान के घर से पिच रोड तक इंटरलाकिंग रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	16.83	8.415
13	तदैय	तदैय	वार्ड नं0-14 के मो० मुशीपुरा में ड० अलाउद्दीन के मकान से पिच रोड तक इंटरलाकिंग रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	16.26	8.13
योग				286.15	143.075

(रूपये एक करोड़ तौतालीस लाख सात हजार पाँच सौ मात्र)।



(अधिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।